

वेणुगोपाल हरियाणा में नई जाट “लीडरशिप” पनपाना चाहते हैं

**भूपेन्द्र सिंह हुड़ा की जगह रणदीप सिंह
सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर, इस पीढ़ी
परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं**

-रेणु मितल-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। हरियाणा कांग्रेस टकराव की ओर बढ़ रही है। पुराने जाट नेतृत्व की लड़ाई हो गई है। राज्य में हाल ही में हुये विधानसभा चुनावों में जीतकर आये 37 विधायकों में से 30 विधायक हरियाणा के सी.एल.पी. नेता भूपेन्द्र सिंह हुड़ा के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही, पार्टी के 5 निवाचित लोकसभा संसदीयों में से 4 सांसद हुड़ा के साथ हैं। इनमें हुड़ा के पुरुषोंपर सिंह हुड़ा भी शामिल हैं।

समझा जाता है कि के.सी.वेणुगोपाल नये जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पी.सी.सी. अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि सी.एल.पी. नेता का पद किसी गैर-जाट नेता को मिलाया।

इस बालाक के पीढ़ी वेणुगोपाल के दो उद्देश्य हैं। पहली जाट तो यह है कि वे हरियाणा में नया नेतृत्व चाहते हैं तथा

- स्वाभाविक ही है, भूपेन्द्र सिंह हुड़ा, इस पीढ़ी परिवर्तन के खिलाफ हैं और कांग्रेस के 37 विधायकों में से तीस पर हुड़ा का नियंत्रण है और यह ही स्थिति लोकसभा सदस्यों की है। हरियाणा के पांच संसदीयों में से चार हुड़ा कैम्प के हैं और इस कारण वेणुगोपाल की पीढ़ी परिवर्तन की योजना आसानी से क्रियान्वित होती नजर नहीं आ रही है।
- पर, वेणुगोपाल भी हार नहीं मान रहे हैं तथा सुरजेवाला को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के प्रयास उन्होंने छोड़ नहीं हैं।
- पीढ़ी परिवर्तन के अलावा वे सुरजेवाला को कर्नाटक से हरियाणा इसलिए भी लाना चाहते हैं कि कर्नाटक एक धनाद्यप्रदेश है, सुरजेवाला को वहाँ से हटाकर, वे अपने आदमी को कर्नाटक में प्रभारी नियुक्त करना चाहते हैं। जैसा कि विदेश ही है, सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं।
- हुड़ा ने भी परोक्ष रूप से धमकी दे रखी है कि उन पर ज्यादा दबाव डाला गया, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिये, तो वे पार्टी में विभाजन करा देंगे।

दूसरी ओर ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस जीतकर संसदीय सम्पर्क संसदीयों में से विचार करने के राजी नहीं हैं। इसके दो दोष के बाबत यह है कि अगर हुड़ा ने यह पार्टी से बाहर आया तो वे पार्टी को नियुक्त नहीं कर पायेंगे। संकेत रूप से दिया है कि अगर हुड़ा ने यह पार्टी से बाहर आया तो वे पार्टी तोड़ने पर चुनावों में भाजपा से हार गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा में शिक्षा पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। राजस्थान के प्राचीनकाल के बच्चों को राजस्थानी भाषा में देने के मामले में शिक्षा सुधारी कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। पश्चिमाना नाम के विकास ने सुधारी कोर्ट के फैसले को महत्वान्वित की है, जिसमें मेहरा ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़

■ अदालत में पेश याचिका में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिलवाने की मांग की है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है, जो उनके बच्चों को अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नाबालिंग के बच्चों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका राजस्थानी भाषा के बाबत यह बाबत आता है,

जिला स्तरीय समितियों की त्रैमासिक बैठक में कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के संचालन को लेकर जिला स्तरीय समितियों की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपनिदेशक सचिवा कृष्णगांव ने सभी समितियों के कार्यों एवं प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान, भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास, दिव्यांग जन अधिकार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दहेज प्रतिबेध कानून, ट्रांसजेंडर अधिकार,

उन्नसुचित जित जनजाति योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, स्वधार गृह योजना, नवजीवन योजना, संबंध ग्राम विकास योजना, अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान योजना, सिलिकोसिस पीड़ितों का कल्याण, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर डॉ. गोस्वामी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रत्येक छात्रावास में जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएं।

इसमें सामाजिक संगठनों और जिला स्तरीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 10 बीं और 12 बीं के छात्रों को छात्रावास में करियर कारउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उन्हें अत्यनिर्भर बनाया जा सके। डॉ. गोस्वामी ने दिव्यांगजन पहचान पत्रों की ऑनलाइन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश देते हुए एमबीएस अस्पताल अधीक्षक और सीएमएचओ से कहा कि तकनीकी समस्याओं का समाधान डीओआईटी के माध्यम से किया जाए।

ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी आश्रय स्थलों और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने और कंबल एवं अन्य सामग्रियों की स्टॉक एंट्री के साथ उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिला कलेक्टर ने संबल योजना और नवजीवन योजना के तहत समाज कल्याण से जुड़े विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में सुशीला देवी चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा नशा मुक्त और एक्सीडेंट रोकथाम पर आधारित कैलेंडर का विपोचन भी किया गया। बैठक में एमबीएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश सोनी, लीड बैंक मैनेजर दिलीप कौर, स्कार्ट एंड गाइड से ज्ञानदत्त हाड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सार-समाचार

ग्रीन आर्मी ने शहर में 301 पौधे लगाए

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में ग्रीन आर्मी वेलफेयर सोसायटी द्वारा जगह-जगह पौधे लगाए जाने का अभियान निरंतर जारी है, इसी अभियान के तहत रावण चौराहा से आरके पुरम संकिल तक 301 पौधे रोड साईड पर लगाए गए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली गई। ग्रीन भारत संकल्प यात्रा में कार्यरत ग्रीन आर्मी वेलफेयर सोसायटी निरंतर अपने लक्ष्य की बढ़ रही है। सोसायटी की अध्यक्ष मंजू जैन ने बताया कि पूरे वर्षभर शहर में मुख्य मार्गों पर, पार्क में स्कूल, कॉलेज व अन्य जगह पौधे लगाए जाने का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पौधों को पेंड बननने तक का संकल्प लिया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है साथ ही इनकी रक्षा करने, इनमें समय-समय पर पानी देने सहित कई तहर की जिम्मेदारियों सौंपी जा रही है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के छायादार पौधे लगाए गए। मंजू जैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे वरदान होते हैं, यदि हमें भविष्य को सुरक्षित व स्वस्थ्य रखना है तो पौधारोपण आज की आवश्यकता है। पौधे ना केवल आमजन बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। हमें फलदार पौधे भी लगाए चाहिए ताकि पक्षियों को भोजन मिल सकें। इस अवसर पर रितेश जैन, राम गोपाल शर्मा (सहकार विद), नरेन्द्र गुप्ता, चेतन जैन, उमेश जैन सहित कई लोग उपस्थित रहे।

अभिभाषक परिषद ने नववर्ष मिलन समारोह मनाया

कोटा, (निसं)। अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से नववर्ष मिलन समारोह शुक्रवार को दाढ़ीचंगाड़न में आयोजित किया गया। समारोह में युवा वकीलों ने फिल्मी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी। नववर्ष मिलन समारोह में युवा वकीलों और बरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कविताओं और गीतों को प्रस्तुत किया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने कहा कि नव वर्ष में वकील और न्यायिक अधिकारियों के बीच संबंध मध्यर रहे और नई बिल्डिंग का जो सपना है वह पूरा हो। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश का माला पहनकर स्वागत किया। नववर्ष मिलन समारोह में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी।



१८

મુખ્યમંત્રી દોજગાડ ઉત્સવ

13 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियक्ति पत्र का वितरण

४

31 हजार करोड़ लप्ते के 76 हजार से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਿਧੀਆਂ

मुख्य अतिथि
श्री भगवान्नारायण

सुश्री दिया कुमारी

શ્રી જોગારામ પટેલ

12 जून 2025

ਪਾਤ: 11:00 ਬਜੇ

ਬਿਨ੍ਹਾ ਓਵਿਟੋਇਗਕ ਜਗਾਦ

© 2008 Pearson Education, Inc.

निभाइ जिम्दारो - हर घर खुशहाली

